नाइलिट

की

स्थानान्तरण नीति

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (नाइलिट)

(इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की एक स्वायत्त वैज्ञानिक संस्था)

सितम्बर, 2012

विषय-सूची

विषय **पृष्ठ**

1. नाइलिट के बारे में

   - नाइलिट का विजन

2. स्थानान्तरण नीति

   - प्रयोजन

   - उद्देश्य

   - स्थानान्तरण की आवश्यकता

   - नाइलिट के वर्तमान कर्मचारी/सेवा नियम के प्रावधान

   - स्थानान्तरण के प्रस्तावित मानदण्ड

3. विस्तार

4. कार्यान्वयन की पद्धति

5. सामान्य

6. अपील

7. नाइलिट स्थानान्तरण समिति (अनुबंध - I)

1.0 नाइलिट के बारे में

1.1 राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (नाइलिट), पूर्वतन डीओईएसीसी सोसायटी, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक स्वायत्त वैज्ञानिक संस्था है। नाइलिट संस्था तीन संस्थाओं का एकीकरण है अर्थात डीओईएसीसी सोसायटी, भारतीय इलेक्ट्रॉनिकी डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र (ईआरएण्डडीसीआई), मोहाली केन्द्र को छोड़कर, तथा क्षेत्रीय कम्प्यूटर केन्द्र, चण्डीगढ़, कोलकाता।

1.2 संस्था का मुख्य उद्देश्य सूचना, इलेक्ट्रॉनिकी एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईईसीटी) के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास तथा संबद्ध कार्यकलाप करना है। संस्था आईईसीटी के क्षेत्र में औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों ही प्रकार का शिक्षण प्रदान कर रही है, और साथ ही अद्यतन तकनीकी जानकारी के क्षेत्र में अच्छी क्वालिटी के उद्योग उन्मुखी शिक्षण एवं प्रशिक्षण का विकास भी कर रही है तथा आईईसीटी के क्षेत्र में परीक्षा एवं प्रमाणन का एक अग्रणी संस्थान बनने की दिशा में मानक स्थापित करती है। यह एक राष्ट्रीय परीक्षा निकाय है जो सूचना प्रौद्योगिकी के अनौपचारिक क्षेत्र में शिक्षण तथा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाने के लिए संस्थानों/संगठनों का प्रत्यायन भी करती है।

1.3 नीचे दिए अनुसार अपने केन्द्रों, क्षेत्रीय कार्यालयों, शाखा कार्यालयों तथा विस्तार केन्द्रों के माध्यम से पूरे देश में 21 स्थानों पर संस्था की उपस्थिति है :

मुख्यालय	नई दिल्ली
केन्द्र	आइजॉल, अगरतला, अजमेर, औरंगाबाद, कालीकट, चण्डीगढ़, चेन्नै, गंगटोक, गोरखपुर, इम्फाल, ईटानगर, कोलकाता, कोहिमा, शिलांग, श्रीनगर, गुवाहाटी
क्षेत्रीय कार्यालय	पटना (बिहार)
शाखा कार्यालय	चण्डीगढ़ केन्द्र के लखनऊ, शिमला, नई दिल्ली
विस्तार केन्द्र	कोहिमा केन्द्र का चुचुयिमलांग, गुवाहाटी केन्द्र का तेजपुर श्रीनगर केन्द्र का जम्मू

1.4 नाइलिट के केन्द्र इलेक्ट्रॉनिकी डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी (ईडीटी) तथा अन्तर्निर्मित प्रणालियों पर एम.टेक कार्यक्रम, एमसीए, बीसीए तथा डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रम चलाते हैं जो राज्य विश्वविद्यालयों/ तकनीकी बोर्डों से संबद्ध हैं। अनौपचारिक क्षेत्र के पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत, नाइलिट विभिन्न पाठ्यक्रमों का आयोजन करती है जैसे कि डीओईएसीसी ओ/ए/बी/सी स्तर के सूचना प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम, कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं अनुरक्षण में सीएचएम 'ओ' तथा 'ए' स्तर, जैव-सूचना विज्ञान में बीआई-ओ/ए/बी स्तर, सूचना सुरक्षा प्रमाणन स्तर 1/2/3, आईटीईएस-बीपीओ बैंकिंग/ग्राहक सेवा, उद्यमशीलता विकास आदि। नाइलिट के केन्द्र सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिकी डिजाइन एवं

प्रौद्योगिकी, विनिर्माण प्रौद्योगिकी, अनुरक्षण इंजीनियरी आदि के क्षेत्रों में अल्पावधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी चलाते हैं। डीओईएसीसी ओ, ए तथा बी स्तर के पाठ्यक्रमों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा केन्द्र सरकार की सेवाओं में रोजगार के प्रयोजन से क्रमशः आधारभूत स्तर, उन्नत डिप्लोमा तथा एमसीए के समकक्ष के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। प्रत्येक वर्ष डीओईएसीसी ओ/ए/बी/सी स्तर के पाठ्यक्रमों में लगभग 60,000 विद्यार्थी दाखिला ले रहे हैं।

1.5 वर्ष 1999 में आरम्भ किया गया कम्प्यूटर अवधारणा पाठ्यक्रम (सीसीसी) एक 80 घंटे का कम्प्यूटर साक्षरता कार्यक्रम है, जिसे विभिन्न राज्य सरकारों तथा केन्द्र सरकार के विभागों से रोजगार के प्रयोजन से सूचना प्रौद्योगिकी/कम्प्यूटर साक्षरता के मूलभूत पाठ्यक्रम के रूप में मान्यता प्राप्त है। सीसीसी की परीक्षा इस समय वर्ष में तीन बार राष्ट्रव्यापी आधार पर ऑनलाइन आयोजित की जा रही हैं और साथ ही माँग के आधार पर नाइलिट केन्द्रों द्वारा प्रत्येक महीने के प्रथम एवं तृतीय शनिवार को भी परीक्षाएँ आयोजित की जाती हैं। सीसीसी पाठ्यक्रम को आरम्भ करने के समय से, 6.22 लाख से ज्यादा विद्यार्थी परीक्षाओं में बैठे तथा 4 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए।

1.6 नाइलिट का विजन

अद्यतन तकनीकी जानकारी के क्षेत्र में उद्योग उन्मुखी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण एवं प्रशिक्षण के विकास में अग्रणी बनना, मानक स्थापित करना और सूचना, इलेक्ट्रॉनिकी तथा संचार प्रौद्योगिकी (आईईसीटी) के क्षेत्र में परीक्षा एवं प्रमाणन के लिए देश का एक प्रमुख संस्थान बनना।

2.0 स्थानान्तरण नीति

2.1 <u>प्रयोजन</u>

2.1.1 इस नीति का प्रयोजन देश के विभिन्न स्थानों पर स्थित नाइलिट केन्द्रों की आवश्यकता के अनुसार कर्मचारियों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण के कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश उपलब्ध कराना है। यह नीति निम्नलिखित उद्देश्यों को भी पूरा करेगी :

2.1 <u>उद्देश्य</u>

2.2.1 बदलते परिवेश में, कर्मचारियों की भूमिका/प्रोफाइल में निरन्तर रूप में अभिवृद्धि करने की जरूरत है। मध्यम स्तर के अधिकारियों को विभिन्न प्रकार के कार्यों से परिचित कराने के साथ-साथ कार्य के माध्यम से प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है जिससे वे वरिष्ठ स्तर पर कार्य करने के लिए तैयार हो सकें। इसी प्रकार, गैर-कार्यकारी कर्मचारियों को पुनःप्रशिक्षित करने तथा नए कार्यों/स्थानों पर नियोजित करने की जरूरत हे जिससे वे प्रौद्योगिकी से संबंधित परिवर्तन आदि की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें और संस्था के जिन स्थानों पर कर्मचारियों की कमी है उसे पूरा किया जाए।

2.2.2 प्रबंध में निरन्तरता तथा मध्यम एवं वरिष्ठ प्रबंध स्तर पर व्यवस्थित पदारोहण का सुनिश्चय करना।

2.2.3 संवेदनशील कार्यों/क्षेत्रों से आवर्तनशील स्थानान्तरण का सुनिश्चय करना।

2.2.4 संगठन के विकास को बनाए रखना तथा पोषित करना।

2.2.5 सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की अपने मूल निवास स्थान अथवा अपनी पसंद के अनुसार स्थान पर तैनाती की आवश्यकता को पूरा करना।

2.2.6 उत्पादकता में अभिवृद्धि करना तथा एकरसता को दूर करना।

2.3 <u>स्थानान्तरण की आवश्यकता</u>

2.3.1 तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार, विशेषज्ञता रखने वाले किसी विशिष्ट पद/काडर या अपेक्षित अर्हता तथा/अथवा अनुभव के लिए स्थानापन्न उपलब्ध कराना।

2.3.2 जनशक्ति में कमी को दूर करना अथवा क्षमता अभिवर्धन/विस्तार आदि की दृष्टि से सुदृढ़ीकरकण उपलब्ध कराना।

2.3.3 अनुकम्पा के आधार पर तैनाती।

2.3.4 निम्नलिखित के संबंध में (समय-समय पर यथा संशोधित) सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन करना :

क) पति/पत्नी को एक स्थान पर कार्य करने की सुविधा के लिए तैनाती।

ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित केन्द्रों में आवर्तनशील तैनाती।

ग) संबंधित नियमों में शामिल कोई अन्य श्रेणी।

2.4 <u>नाइलिट के कर्मचारी/सेवा नियमों में वर्तमान प्रावधान</u>

2.4.1 संस्था का प्रत्येक कर्मचारी कार्यकारी निदेशक के निर्णय के अनुसार भारत अथवा विदेशों में स्थित संस्था के किसी भी कार्यालय/केन्द्र में सेवा करने के लिए बाध्य होगा जो किसी विशिष्ट केन्द्र/स्थान पर आवश्यक किसी व्यक्ति की विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए तथा विशुद्धतः संस्था के हित में होगा।

2.4.2 सभी नियुक्ति पत्रों में भी एक इस आशय का उपबंध शामिल होगा कि कर्मचारी की सेवाएँ भारत अथवा विदेशों में किसी भी स्थान पर स्थानान्तरित की जा सकती हैं।

2.5 <u>स्थानान्तरण के प्रस्तावित मानदण्ड</u>

कार्मिकों का स्थानान्तरण नीचे बताई गई पद्धति से विनियमित होगा।

2.5.1 किसी कर्मचारी के किसी भी स्थान पर सेवा करने की आवश्यकता हो सकती है।

2.5.2 कर्मचारी को, नाइलिट की आजाविका में एक बार, पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित स्थान पर कार्य करना होगा।

2.5.3 जिन कर्मचारियों ने एक स्थान पर 5 वर्षों तक कार्य किया है, उनके स्थानान्तरण पर विचार किया जाएगा। लेकिन, कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर, कार्यकारी निदेशक द्वारा ऐसे स्थानान्तरण संस्था के कार्य के हित को ध्यान में रखते हुए जब भी आवश्यक हो किए जा सकते हैं जिससे विशिष्ट जनशक्ति की आवश्यकता तथा तात्कालिकता/कमी को पूरा किया जा सके। इसके अलावा, यदि किसी कर्मचारी का कार्यनिष्पादन किसी विशिष्ट स्थान पर अपेक्षा के अनुसार नहीं है, तब उस कर्मचारी की क्षमता के आधार पर, पाँच वर्षों की अवधि पर विचार किए बिना ही स्थानान्तरण किया जाएगा।

2.5.4 जो कर्मचारी सेवा-निवृत्ति के निकट हैं, उन्हें अपने मूल निवास स्थान अथवा उनकी पसंद के अनुसार स्थान पर संभावित तैनाती का विकल्प दिया जाएगा।

2.5.5 जिन कर्मचारियों की सेवा-निवृत्ति में 3 वर्षों की सेवा शेष रह गई है, उन्हें स्थानान्तरण से छूट दी जाएगी।

2.5.6 ऊपर उल्लिखित होने के बावजूद, किसी व्यक्ति को संगठन की तात्कालिक आवश्यकता तथा/अथवा लोक हित में स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

3.0 <u>विस्तार</u>

3.1 इस नीति में नाइलिट के मुख्यालय, इसके केन्द्रों, क्षेत्रीय कार्यालयों, शाखा कार्यालयों, विस्तार केन्द्रों आदि में कार्यरत सभी कर्मचारी शामिल होंगे।

4.0 <u>कार्यान्वयन की पद्धति</u>

4.1 स्थानान्तरण के अनुरोध दिसम्बर के महीने में तैनाती के तीन स्थानों के विकल्प के साथ आमंत्रित किए जाएंगे। जिन कर्मचारियो को स्थानान्तरित किया जाएगा उनके नामों के बारे में अन्तिम निर्णय प्रत्येक वर्ष फरवरी के महीने में लिया जाएगा जिससे उनके बच्चों के शैक्षिक वर्ष पर कोई प्रभाव नहीं पड़े।

4.2 प्रत्येक केन्द्र भी वर्ग क, ख तथा ग में जनशक्ति की कमी/आधिक्य का विवरण तैयार करेंगे तथा नाइलिट मुख्यालय को पूरे औचित्य के साथ प्रत्येक वर्ष 30 नवम्बर तक भेजेंगे।

4.3 कम/अधिक जनशक्ति के आँकड़ों, वर्तमान/प्रस्तावित संगठनात्मक ढाँचा तथा अन्य तथ्यों एवं आँकड़ों, यदि कोई हो, के आधार पर नाइलिट मुख्यालय में एक समेकित सूची तैयार की जाएगी।

4.4 यदि प्रबंध निदेशक द्वारा आवश्यक समझा जाए, तो कर्मचारियों के एक केन्द्र से दूसरे केन्द्र में स्थानान्तरण की सिफारिश करने के लिए एक समिति का गठन किया जा सकता है।

4.5 उपर्युक्त समिति द्वारा स्थानान्तरण के समेकित प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा और अपनी सिफारिशें करने के लिए कर्मचारी की तकनीकी पृष्ठभूमि तथा उपयुक्तता सहित अन्य पहलुओं को भी ध्यान में रखा जाएगा।

4.6 समिति की सिफारिशें प्राप्त होने के पश्चात, कार्यान्वयन करने के प्रयोजन से नाइलिट सक्षम प्राधिकारी (कार्यकारी निदेशक, उपाध्यक्ष/अध्यक्ष, अधिशासी परिषद, नाइलिट, जैसा भी मामला हो) का अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करने के लिए कार्रवाई आरम्भ करेगा।

4.7 अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में, जहाँ संगठन की तात्कालिक आवश्यकताओं तथा/अथवा प्रशासनिक कारणों से स्थानान्तरण करना आवश्यक हो, सक्षम प्राधिकारी समिति को पूछे बिना ही अपेक्षित कार्रवाई कर सकता है।

5.0 <u>सामान्य</u>

5.1 जहाँ तक संभव हो, स्थानान्तरण का समय शैक्षिक वर्ष की समाप्ति कर किया जाएगा जिससे कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा पर उसका कोई प्रभाव न पड़े।

5.2 जो कर्मचारी किसी अन्य समय अपनी इच्छा से स्थानान्तरण का विकल्प देते हैं, वे उचित माध्यम से अपना अनुरोध कार्यकारी निदेशक के पास भेजेंगे जो प्रत्येक मामले के गुणदोष के आधार पर उनपर विचार करेंगे।

5.3 स्थानान्तरण आदेश में परिवर्तन करने के लिए कर्मचारियों द्वारा कोई बाहरी दबाव नहीं डाला जाएगा। ऐसा होने पर केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली के प्रावधान लागू होंगे।

5.4 कोई भी स्थानान्तरण दण्ड के रूप में या कर्मचारी को परेशान करने के उद्देश्य से नहीं किया जाएगा।

5.5 स्थानान्तरणों को प्रभावी बनाने के मामले में, सलाह की एक पद्धति तैयार की जाएगी और उसका पालन पारदर्शी रूप में किया जाएगा।

6.0 <u>अपील</u>

6.1 जब भी कोई स्थानान्तरण आदेश जारी किया जाए, संबंधित कर्मचारी उस आदेश का पालन करेगा। लेकिन, कर्मचारी स्थानान्तरण आदेश प्राप्त होने के 10 दिनों के अन्दर ऐसे आदेश के खिलाफ कार्यकारी निदेशक, नाइलिट के पास अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

6.2 लिखित अभ्यावेदन के 30 दिनों के अन्दर स्थानान्तरण आदेश स्थगित/संशोधित/रद्द नहीं किए जाने की स्थिति में, संबंधित कर्मचारी उस आदेश का पालन करेगा।